बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक – .....

सख्या :– **5 नि॰गो॰वि॰ (1) 08/2012**– ..... विदित हो कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार प्रशासनिक सेवा प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 मे षडयंत्र के तहत प्रक्रिया को दोषपूर्ण दूषित, कदाचारपूर्ण, अनेक अनियमितता करने संबंधी जाँच के क्रम में डा॰ सुबोध कुमार, तदेन कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना के विरूद्ध विभिन्न परीक्षाओं में बिचौलिया का काम करने तथा एक साजिश के तहत कई उम्मदवारों को निजी लाभ संबंधी आरोप के लिए दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या 19/2005, दिनांक 29.12.2005 में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये गये।

उक्त आरोप के लिए डा॰ कुमार दिनांक 02.02.2006 से 17.09.2006 तक (कारावास अवधि) निलंबित रहें। कारावास से रिहा होने के पश्चात् विभागीय आदेश 354 नि॰गो॰, दिनांक 27.10.2009 के द्वारा डा॰ कुमार को पुनः निलंबित कर दिया गया तथा विभागीय आदेश 192 नि॰गो॰, दिनांक 29.06.2012 के द्वारा डा॰ कुमार को निलंबन से मुक्त किया गया। इस प्रकार डा॰ कुमार दिनांक 02.02.2006 से दिनांक 17.09.2006 तक एवं दिनांक 27.10.2009 से दिनांक 28.06.2012 तक निलंबित रहे।

उक्त आरोप के लिए विभागीय संकल्प संख्या 223 नि॰गो॰, दिनांक 10.06.2010 के द्वारा डा॰ कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। विभागीय कार्यवाही के परिणामस्वरूप आरोपो को प्रमाणित पाया गया एवं डा॰ कुमार को विभागीय संकल्प संख्या 475 नि॰गो॰, दिनांक 01.12.2015 के द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध डा॰ कुमार के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में C.W.J.C. No. 7863/2014 दायर किया गया। प्रश्नगत वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.04.2018 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक संख्या 475 नि॰गो॰, दिनांक 01.12.2015 को रद्द करते हुए डा॰ कुमार को सरकारी सेवा में बहाल किया गया।

इसी क्रम में डा॰ कुमार द्वारा अपने विरूद्ध की जा रही विभागीय कार्रवाई को समाप्त करने तथा निलंबन एवं बर्खास्तगी अवधि के वेतनादि भुगतान के संबंध में नया वाद, वाद संख्या C.W.J.C. No. 8190/2024 माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर किया गया। उक्त आलोक में समीक्षोपरांत डा॰ कुमार के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 19/2005 माननीय निगरानी न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण डा॰ कुमार के निलंबन अवधि (कारावास अवधि के लिए दिनांक 02.02.2006 से 17.09.2006 तक एवं विभागीय कार्यवाही में दिनांक 27.10.2009 से दिनांक 28.06.2012 तक) के वेतनादि का भुगतान माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल के पश्चात् किये जाने का निर्णय लिया गया।

C.W.J.C. No. 8190/2024 के मामले में दिनांक 28.3.2025 को पारित न्याय निर्णय का प्रभावी अंश निम्नवत है :–

In view of the above decision of the disciplinary authority, contained in Memo No. 282 of 22.8.2024 to the counter affidavit by which the petitioner has been exonerated subject to the decision of the Vigilance Court in connection with Vigilance P.S. Case No. 19 of 2005 and taking into account the previous order of this Hon'ble Court dated 05.04.2018 passed in C.W.J.C. No. 7863 of 2014, now there does not exist any departmental proceeding against the petitioner, and therefore the disciplinary authority has rightly decided to treat the dismissal period from 01.12.2015 to 21.12.2019 as duty period for all purposes and to pay salary and other benefits to the petitioner for the staid period. If this payment has not been made up till now, the same shall be paid to the petitioner within four weeks from the date of production of a copy of this order, failing which the petitioner would be entitled to be paid interest @ 6 per cent per annum on the said payment from 22.08.2024.

Since the petitioner has already been exonerated and there is no disciplinary proceeding now pending against him, there is no reason as to why the petitioner should not be paid salary for the suspension period from 02.02.2006 to 17.09.2006 and 27.10.2009 to 28.06.2012 after deducting the subsistence allowance payment. The respondent authorities are, therefore, directed to even make this payment for the suspension period within four weeks from the date of production of a copy of this order failing which against the petitioner would be entitled to 6 per cent interest per annum from the date 22.08.2024. The order of exoneration contained in Memo No.282 dated 22.08.2024 (Annexure R/A) therefore, stands set aside only to the extent it had decided to keep on hold payment for suspension periods after the result of Vigilance P.S. Case No. 19/2005. It is, however, made clear that the exoneration of the petitioner will continue to be subject to the decision of Vigilance Court in connection with Vigilance P.S. Case No.19 of 2005 and the respondent authorities will be at liberty to proceed afresh against the petitioner in accordance with law, if any adverse order is passed in Vigilance P.S. Case No.19 of 2005.

With the above observation and directions, the present writ application stands allowed to the extent indicated above

अतएव C.W.J.C. No. 8190/2024 डा॰ सुबोध कुमार के मामले में दिनांक 28.3.2025 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित न्याय निर्णय के समीक्षोंपरांत विभागीय आदेश 282 दिनांक 22.08.2024 की कंडिका–12 (iii) को रद्द करते हुए निगरानी थाना कांड संख्या 19/2005, दिनांक 29.12.2005 के मामले में पारित होने वाले न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर डा॰ कुमार के निलंबन अवधि (कारावास अवधि के लिए दिनांक 02.02.2006 से 17.09.2006 तक एवं विभागीय कार्यवाही में दिनांक 27.10.2009 से दिनांक 28.06.2012 तक) के वेतनादि भुगतान किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय आदेश 282 दिनांक 22.08.2024 की कंडिका–12 (iii) को रद्द किया जाता है एवं निगरानी थाना कांड संख्या 19/2005, दिनांक 29.12.2005 के मामले में पारित होने वाले न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर डा॰ कुमार के निलंबन अवधि (कारावास अवधि– दिनांक 02.02.2006 से 17.09.2006 तक एवं विभागीय कार्यवाही के क्रम में दिनांक 27.10.2009 से दिनांक 28.06.2012 तक) के वेतनादि भुगतान उनके द्वारा ली गयी जीवन निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक संख्या– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 08/2012–................................./ पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰), बिहार, पटना/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, पटना/गयाजी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक संख्या– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 08/2012–317 नि०गो०.........../ पटना–15, दिनांक–14.07.25

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, मगध क्षेत्र, गयाजी/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/जिला पशुपालन पदाधिकारी पटना/गयाजी/डा॰ सुबोध कुमार, तत्कालीन कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना सम्प्रति पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गयाजी वन प्रमंडल, गयाजी, **पत्राचार का पता**– पिता–श्री प्राण मोहन सिंह, ग्रा०–मानिक परथ्रडा, थाना–फुलीडुम्मर, जिला–बांका/प्रशाखा पदाधिकारी 1 एवं 2/विभागीय आई॰टी॰ मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/7/25

सरकार के संयुक्त सचिव।